उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 02.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 02.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी ।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीडितों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फरियादियों को आश्वस्त करते हुए सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश...

आज दिनांक 02.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया, जिससे फरियादियों के चेहरे में सम्बन्धित शिकायत के जल्द निस्तारण होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। सभी फरियादियों ने आश्वस्त होकर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 02.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

- ❖ **पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन मे जनपद के समस्त थानों मे नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओ का किया जा रहा निस्तारण**
- ❖ **महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, स्कमहिला हेल्प डेस्क व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा जागरुक**
- ❖ **सभी का उद्देश्य जनकल्याण व मानव समाज की सेवा करना शासन-प्रशासन महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान व उनके उत्थान व सशक्तिकरण हेतु है प्रतिबद्ध**
- ❖ **समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग भी की जा रही है।**

उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज -4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आज दिनांक 02.09.2024 को जनपद महोबा के समस्त थानों में नियुक्त एण्टीरोमियो /शक्ति दीदी टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना/ पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु **"शक्ति दीदी"** नियमित रुप से ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया व कराया जा रहा है।

जनचौपाल में उपस्थित महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा,नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज़-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं मे उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना,फ्री सिलाई मशीन योजना,सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना,सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना,बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 02.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त आनन्द राजपूत उर्फ आशिक पुत्र चन्द्रपाल उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम टोलारावत थाना मझगवां जनपद हमीरपुर हाल निवासी ग्राम करहराकला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नजायज बरामद करते हुये नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 439/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

आनन्द राजपूत उर्फ आशिक पुत्र चन्द्रपाल उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम टोलारावत थाना मझगवां जनपद हमीरपुर हाल निवासी ग्राम करहराकला थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 120/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मझगवा थाना हमीरपुर
2. मु0अ0सं0 232/22 धारा 380/411/457/ भा.द.वि. थाना श्रीनगर जनपद महोबा
3. मु0अ0सं0 20/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चरखारी जिला महोबा
4. मु0अ0सं0 006/23 धारा 380/411/457/ भा.द.वि. थाना मझगवा थाना हमीरपुर
5. मु0अ0स0 438/24 धारा 152(2)/352/351(2)/288 बीएनएस थाना कोतवाली महोबा
6. मु0अ0स0 439/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1 उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा चौकी प्रभारी सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ0नि0प्रशि0 अभिनव सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद में प्रभावी कानून व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में गूगल मीट के माध्यम से महोबा पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना एवं चौकी प्रभारियों को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

आज दिनांक 02.09.2024 को श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा द्वारा जनपद में सुदृढ़ सुरक्षा एवं प्रभावी कानून व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारी सहित समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से गोष्ठी कर ब्रीफ किया गया है एवं जनपद में अपराध की रोकथाम तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

- विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों एवं प्रतिष्ठानों में पुलिस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे आमजनता को उनके मध्य पुलिस की विजिबिलटी प्रदर्शित हो और सुरक्षा का भाव बना रहे।
- क्षेत्र में लगातार संदिग्धों की बैरियर लगाकर प्रभावी चेकिंग की जाये, जो भी संदिग्ध गमछा लगाकर, मुंह ढके हुए, तीन सवारी, बिना नम्बर प्लेट दिखे उसकी चेकिंग निश्चित की जाये।
- सर्राफा व्यवसायियों के साथ निरंतर संवाद जारी रखने हेतु गोष्ठी किये जाने व उनसे अपने प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिये अपेक्षित सहयोग किया जाये।
- भीड़भाड़ वाले स्थानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के पास डायल-112 पीआरवी वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- लूट, चोरी व अन्य गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों विशेषकर जेल से छूटे अपराधियों का सत्यापन कर उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाये, इसके लिये पड़ोसी जनपदों की पुलिस से भी लगातार संवाद बनाये रखा जाये जिससे इनको किसी भी आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त पाये जाने पर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाये।
- अपराध पर प्रभावी रोकथाम के लिये विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों में औचक पैदल गस्त किए जाने पर जोर दिया गया है।